

हिमाचल प्रदेश सरकार
आबकारी एवं कराधान विभाग

संख्या: ई0एक्सएन-एफ(10)-3/2017 तारीख शिमला-2,

29 अप्रैल, 2017

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 63 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- | | | |
|-------------------------------|----|---|
| संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ। | 1. | (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2017 है।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। |
| नए नियम 4
का संशोधन। | 2. | हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियम, 2012 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 4 उप-नियम (1) के खण्ड (क) में "मासिक" शब्द का लोप किया जाएगा। |
| नियम 6
का संशोधन। | 3. | उक्त नियमों के नियम 6 में उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
"(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत ब्यौहारी, ऐसी रीति में जैसी इन नियमों के नियम 40 में विनिर्दिष्ट की जाए, मूल्य परिवर्धित कर प्ररूप-15 में विवरणी प्रस्तुत करेगा।" |

आदेश द्वारा,
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)
हिमाचल प्रदेश सरकार

[Authoritative English Text of this Department Notification No.EXN-F(10)-3/2017 dated 29/04/2017 as required under clause(3) of article 348 of the Constitution of India].

**Government of Himachal Pradesh
Excise and Taxation Department**

No.EXN-F(10)-3/2017 Dated Shimla-2 29th April, 2017.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 15 of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010 (Act No.9 of 2010) read with section 63 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No.12 of 2005), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Rules, 2012, namely:-

- | | |
|-------------------------------|---|
| Short title and commencement. | 1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area (Second Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force with effect from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh. |
| Amendment of rule 4. | 2. In rule 4 of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Rules, 2012 (hereinafter referred to as the 'said rules'), in clause (a) of sub-rule(1), the word, "monthly" shall be omitted. |
| Amendment of rule 6. | 3. In rule 6 of the said rules, for sub-rule(1), the following |

sub rule shall be substituted, namely:-

"(1) Every registered dealer shall furnish return in Form VAT-XV in such manner as specified under rule 40 of these rules."

By order
Pr. Secretary(E&T) to the
Government of Himachal Pradesh